



ZILA SAHKARI BANK LTD. HARIDWAR

जिला सहकारी बैंक लि. हरिद्वार

प्रधान कार्यालय : बी.टी. गंज, रुड़की (उत्तराखण्ड)

development@dcbbharidwar.bank.in, admin@dcbbharidwar.bank.in

पत्रांक :

656 / विकास / वसूली / रिकवरी एजेन्सी / 2026-27

दिनांक:- 17.08.2026

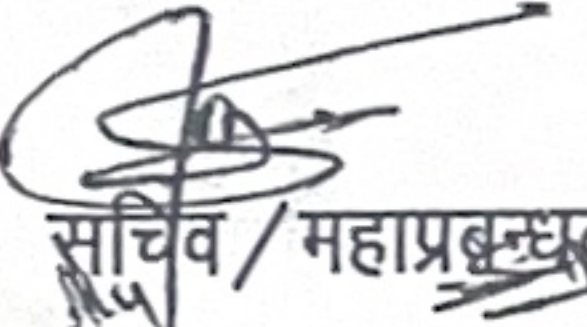
शिवार्थ रिकवरी (प्रो. दीपक शर्मा एवं रितिका),
पंजीकृत कार्यालय- पुरोहित गली नई बस्ती भीमगोडा,
निकट त्रिमूर्ति गेस्ट हाउस,
खडखडी जिला हरिद्वार।

बैंक प्रशासकीय बैठक दिनांक 05.08.2026 के प्रस्ताव सं.-01 के निर्णय के क्रम में शाखास्तर पर बैंक के विद्यमान एन.पी.ए. ऋणों की वसूली हेतु क्षेत्र में जाकर तकादा करने, उपलब्ध विधिक विकल्पों का प्रयोग कर वसूली करने तथा 'सरफेसी एक्ट 2002' के अन्तर्गत वसूली कराने हेतु बैंक द्वारा वसूली के लिये आपकी रिकवरी एजेन्सी शिवार्थ रिकवरी, पंजीकृत कार्यालय- पुरोहित गली नई बस्ती भीमगोडा, निकट त्रिमूर्ति गेस्ट हाउस, खडखडी जिला हरिद्वार, को अधिकृत की गई है।

आपके द्वारा दिनांक 13.08.2026 को बैंक एन.पी.ए. ऋणों की वसूली हेतु बैंक के साथ अनुबन्ध किया गया है। जिसके क्रम में मुख्यालय द्वारा एन.पी.ए. ऋणों की वसूली हेतु निम्न शाखाएँ आवंटित की जाती हैं-

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. हरिद्वार | 5. बहादुराबाद |
| 2. धनौरी | 6. पनियाला रोड, रुड़की |
| 3. कनखल | 7. मरगूबपुर |
| 4. ज्वालापुर | 8. नवीन मंडी, रुड़की |

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शाखाओं से एन.पी.ए. ऋण खातों की सूची (जिनकी वसूली रिकवरी एजेन्सी के माध्यम से कराई जानी है) प्राप्त कर सूची अनुसार धनराशि का 50 प्रतिशत वसूली 30.09.2026 तक तथा दिनांक 31.03.2026 तक शतप्रतिशत एन.पी.ए. वसूली कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसकी समीक्षा मुख्यालय स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जायेगी। शेष शर्तें अनुबन्ध के अनुसार रहेंगी।


सचिव/महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि:-

1. शाखा प्रबन्धक हरिद्वार, कनखल, धनौरी, बहादुराबाद, ज्वालापुर, पनियाला रोड, मरगूबपुर एवं नवीन मंडी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शाखा से संबन्धित एन.पी.ए. खातों की वसूली हेतु की एक नवीन सूची (जिनके विरुद्ध 95क/आर.सी./सालसीवाद की कार्यवाही ना की गई हो तथा ऐसे ऋणी जिनके द्वारा ओ.टी.एस. हेतु आवेदन नहीं किया गया है) शिवार्थ रिकवरी, पंजीकृत कार्यालय- पुरोहित गली नई बस्ती भीमगोडा, निकट त्रिमूर्ति गेस्ट हाउस, खडखडी जिला हरिद्वार, को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति मुख्यालय को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। शाखाओं पर ऐसे ऋण खाते जिनकी आर.सी. की गई है लेकिन वसूली नहीं हो रही है, जिनकी वसूली सरफेसी/डी.आर.ए. के माध्यम से की जा सकती है, ऐसे खातों से आर.सी. वापिस लेते हुए सरफेसी/डी.आर.ए. के माध्यम से वसूली कराना सुनिश्चित करें।
2. डी0बी0ए0/एल-1, मुख्यालय को उक्त पत्र को बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. समस्त उपमहाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि० हरिद्वार।
4. प्रशासक/अपर निबन्धक महोदय, जिला सहकारी बैंक लि० हरिद्वार को सूचनार्थ।


सचिव/महाप्रबन्धक



ZILA SAHKARI BANK LTD. HARIDWAR

जिला सहकारी बैंक लि. हरिद्वार

प्रधान कार्यालय : बी.टी. गंज, रुड़की (उत्तराखण्ड)

development@dcbharidwar.bank.in, admin@dcbharidwar.bank.in

पत्रांक :

654 / विकास / वसूली / रिकवरी एजेन्सी / 2026-27

दिनांक:- 17.08.2026

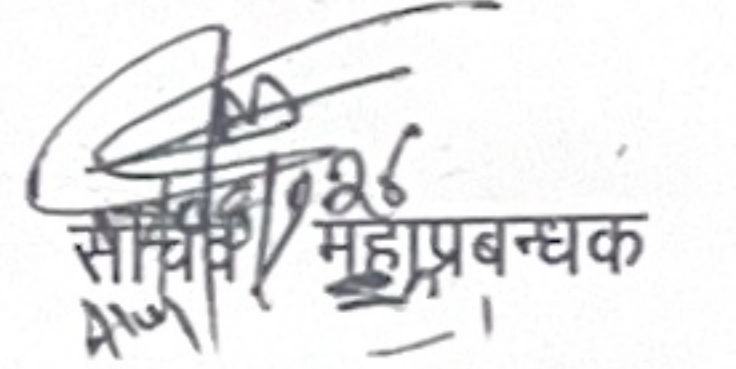
बिशन फिनकैप कंसल्टेंट प्रा. लि.,
पंजीकृत कार्यालय- डी.-283 इंदिरा नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

बैंक प्रशासकीय बैठक दिनांक 05.08.2026 के प्रस्ताव सं.-01 के निर्णय के क्रम में शाखास्तर पर बैंक के विद्यमान एन.पी.ए. ऋणों की वसूली हेतु क्षेत्र में जाकर तकादा करने, उपलब्ध विधिक विकल्पों का प्रयोग कर वसूली करने तथा 'सरफेसी एक्ट 2002' के अर्न्तगत वसूली कराने हेतु बैंक द्वारा वसूली के लिये आपकी रिकवरी एजेन्सी बिशन फिनकैप कंसल्टेंट प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय- डी.-283 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को अधिकृत की गई है।

आपके द्वारा दिनांक 17.08.2026 को बैंक एन.पी.ए. ऋणों की वसूली हेतु बैंक के साथ अनुबन्ध किया गया है। जिसके क्रम में मुख्यालय द्वारा एन.पी.ए. ऋणों की वसूली हेतु निम्न शाखायें आवंटित की जाती हैं-

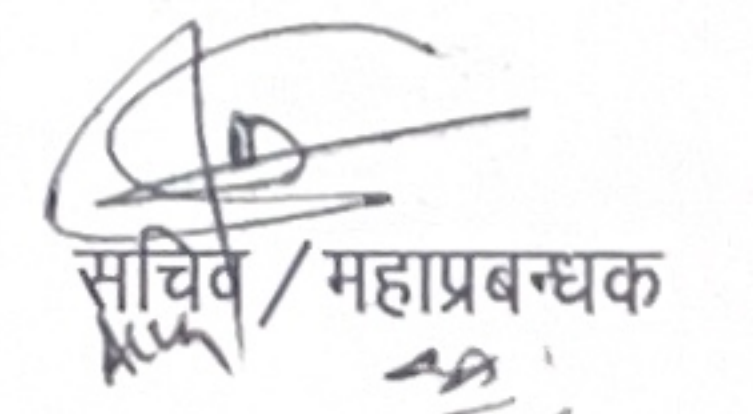
- | | |
|-------------|---|
| 1. भगवानपुर | 5. बुग्गावाला |
| 2. इकबालपुर | 6. नारसन |
| 3. तेज्जपुर | 7. लंदौरा |
| 4. चौली | 8. मंगलौर (03 खाते जिनमें सरफेसी की कार्यवाही गतिमान है, को छोड़कर) |

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शाखाओं से एन.पी.ए. ऋण खातों की सूची (जिनकी वसूली रिकवरी एजेन्सी के माध्यम से कराई जानी है) प्राप्त कर सूची अनुसार धनराशि का 50 प्रतिशत वसूली 30.09.2026 तक तथा दिनांक 31.03.2026 तक शतप्रतिशत एन.पी.ए. वसूली कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसकी समीक्षा मुख्यालय स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जायेगी। शेष शर्तें अनुबन्ध के अनुसार रहेंगी।


सचिव/महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि:-

1. शाखा प्रबन्धक भगवानपुर, इकबालपुर, तेज्जपुर, चौली, बुग्गावाला, नारसन, लंदौरा एवं मंगलौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शाखा से संबंधित एन.पी.ए. खातों की वसूली हेतु एक नवीन सूची (जिनके विरुद्ध 95क/आर.सी./सालसीवाद की कार्यवाही ना की गई हो तथा ऐसे ऋणी जिनके द्वारा ओ.टी.एस. हेतु आवेदन नहीं किया गया है, एवं जिनकी वसूली उक्त रिकवरी एजेन्सी के माध्यम से कराई जानी है) बिशन फिनकैप कंसल्टेंट प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय- डी.-283 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति मुख्यालय को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। शाखाओं पर ऐसे ऋण खाते जिनकी आर.सी. की गई है लेकिन वसूली नहीं हो रही है, जिनकी वसूली सरफेसी/डी.आर.ए. के माध्यम से की जा सकती है, ऐसे खातों से आर.सी. वापिस लेते हुए सरफेसी/डी.आर.ए. के माध्यम से वसूली कराना सुनिश्चित करें।
2. डी0बी0ए0/एल-1, मुख्यालय को उक्त पत्र को बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. समस्त उपमहाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि० हरिद्वार।
4. प्रशासक/अपर निबन्धक महोदय, जिला सहकारी बैंक लि० हरिद्वार को सूचनार्थ।


सचिव/महाप्रबन्धक